चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

# प्रबन्ध मण्डल की 148वीं बैठक दिनांक 04-04-2013 का कार्यवृत्त

# चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
## प्रबन्ध मण्डल की 148वीं बैठक का कार्यवृत्त।

**दिनॉक** : 04.04.2013
**सभास्थल** : कुलपति समिति कक्ष।
**समय** : अपरान्ह 4:00 बजे

**उपस्थिति** :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **डा0 पी0के0 शर्मा,**<br>कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल | अध्यक्ष |
| 2. | **श्री देवाशीष पाण्डा,**<br>प्रमुख सचिव कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ। | सदस्य |
| 3. | **श्रीमती संध्या मोहन,**<br>अपर निदेशक कोषागार, कानपुर मण्डल, कानपुर। | प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ |
| 4. | **डा0 बी0एन0 शुक्ला,**<br>क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर। | प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उ0प्र0 शासन, लखनऊ |
| 5. | **डा0 सी0एस0 यादव,**<br>अपर निदेशक पशुपालन, कानपुर। | प्रतिनिधि निदेशक, पशुपालन, उ0प्र0, लखनऊ |
| 6. | **श्री ज्ञान सिंह,**<br>संयुक्त कृषि निदेशक, कानपुर। | प्रतिनिधि निदेशक कृषि, उ0प्र0, लखनऊ |
| 7. | **श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट',**<br>127/476, जूही बारा देवी, कानपुर। | सदस्य |
| 8. | **श्री संत बी0एस0 यादव,**<br>76–खत्राना, शिकोहाबाद, जनपद–फिरोजाबाद। | सदस्य |
| 9. | **डा0 आर0के0 दीक्षित,**<br>कृषि वैज्ञानिक, जी–649, कैलाश विहार, आवास विकास–1 कल्यानपुर, कानपुर। | सदस्य |
| 10. | **श्री विपिन कुमार शुक्ला,**<br>ग्राम–भीतरगांव, पोस्ट–खेडा कुर्सी, कानपुर देहात | सदस्य |
| 11. | **श्री परिमल बाजपेयी,**<br>177/बी/16–आर0एस0 पुरम्, सर्वोदय नगर, कानपुर। | सदस्य |
| 12. | **श्रीमती प्रतिभा राघव,**<br>विनय नगर कालोनी, क्वार्सी बिजली घर के सामने, रामघाट रोड, अलीगढ़–202001 (उ0प्र0)। | सदस्या |
| 13. | **श्री वाई0पी0 सिंह,**<br>अर्थ नियन्त्रक, सचिव प्रबन्ध मण्डल | सचिव |

सर्वप्रथम कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव, प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर प्रबन्ध मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा मदवार चर्चा की गयी। प्रस्तुत प्रस्तावों पर मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्राप्त निर्णयों का मदवार विवरण निम्नवत् है :

| | | |
|---|---|---|
| मद संख्या 1 | : | **प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक 02.06.2012 को सम्पन्न हुई 147वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।**<br><br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा 147वीं बैठक दिनांक 02.06.2012 की कार्यवृत्त का अनुमोदन/पुष्टि कर दी गयी। |
| मद संख्या 2 | : | **चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 147वीं बैठक दिनांक 02.06.2012 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।**<br><br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही पर सन्तोष व्यक्त करते हुए निम्न निर्देश दिये :–<br><br>1. **मद संख्या कमांक 2 बिन्दु सं0 1** पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में तथ्यात्मक आख्या संशोधित प्रस्ताव (संलग्नक–1 पृष्ठ संख्या–47 के पूर्व का पृष्ठ)पर मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। मा0 प्रबन्ध मण्डल के सदस्य श्री तेजपाल सिंह, विधायक के पत्र दिनॉक 31.03.2013 का भी अवलोकन मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया।<br><br>2. **मद संख्या कमांक 10**– डा0 सिंह को उक्त प्रतिपूर्ति नियमानुसार देय नही है सम्बन्धी प्रस्ताव का मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा चिकित्सा सुविधा/चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति समाप्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–28/12–8–2002–400(31)/2001 दिनॉक 04.05.2002 के आलोक में ऐसे अनियमित प्रकरणों को शासन को संदर्भित किये जाने का मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।<br><br>3. **मद संख्या कमांक 12 पूरक 12**– आधार (Basis) जिसके अनुसार विजीलेंस सेल (Vigilance Cell) का गठन किया गया है, को मा0 प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।<br><br>4. **मद संख्या कमांक 12 पूरक 13**– आधार (Basis) जिसके अनुसार सेक्सुअल हरेसमेन्ट आफ वूमेन एट वर्क प्लेस सेल (Sexual Harassment of Women at work place Cell) का गठन किया गया है, को मा0 प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। |
| मद संख्या 3 | : | **मा0 प्रबन्ध मण्डल की 146वीं बैठक दिनॉक 28.07.2011 के मद संख्या–05 पर लिये गये निर्णय में वॉछित सूचना का प्रस्ताव।**<br><br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा मा0 कुलपति में उक्त अधिकार पुनर्गृहीत (Restore) करने हेतु मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| मद संख्या 4 | : | **गैर तकनीकी कर्मचारी परिषद, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर कर्मचारियों के कल्याण हेतु बनाई गई "शिक्षणेत्तर कर्मचारी वेलफेयर फण्ड नियमावली–2011" के अनुमोदन का प्रस्ताव।**<br><br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| मद संख्या 5 | : | **मा0 प्रबन्ध मण्डल की सम्पन्न हुई 147वीं बैठक दिनॉक 02.06.2012 के मद संख्या–2 बिन्दु संख्या–4 पर दिये गये निर्देशानुसार तदर्थ परियोजनाओं एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वाक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से रखे जाने वाले कार्मिकों से प्रासेस फी लिए जाने के अनुमोदन का संशोधित प्रस्ताव।**<br><br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| मद संख्या 6 | : | **विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा अधिकारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने हेतु नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 आदि के माध्यम से चिकित्सा/मेडीक्लेम पालिसी लागू/व्यवहरित करने हेतु प्रस्ताव।**<br><br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा अधिकारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने हेतु नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 आदि अर्द्धसरकारी संस्थानों के माध्यम से चिकित्सा/मेडीक्लेम पालिसी आदि को ऐच्छिक आधार पर लागू/व्यवहरित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा प्रबन्ध मण्डल की 141वीं बैठक दिनॉक 23.04.2010 के मद संख्या–4 (विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा अधिकारियों को चिकित्सा सुविधा/चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पर विचार।) पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा तत्समय प्रदत्त अनुमोदन को उत्तर प्रदेश शासन कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के शासनादेश संख्या–28/12–8–2002–400(31)/2001 दिनॉक 04.05.2002 में प्रदत्त निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण उक्त को निरस्त किये जाने का निर्णय मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया एवं तदानुसार शासन को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। |
| मद संख्या 7 | : | **आयोजनेत्तर पक्ष/आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2012–13 का पुनरीक्षित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 के प्रस्तावित अनुमानों की स्वीकृति/व्यय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।**<br><br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देशित किया गया कि आई0सी0ए0आर0 एवं स्ववित्तपोषित योजनाओं से आच्छादित अधिकारियों/ कर्मचारियों के परिप्रेक्ष्य में भुगतान नान–प्लान योजना में मिलने वाली अनुदान की धनराशि से न किया जाये तथा इस शर्त का अनुपालन विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारियों एवं अर्थ नियन्त्रक द्वारा प्राथमिकता पर किया जाये। |
| मद संख्या 8 | : | **विश्वविद्यालय में टेण्डर निष्पादित करते समय कय समिति से प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य को विलोपित/निरस्त किये जाने पर विचार।**<br><br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव स्थगित करते हुए आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित क्रिया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| मद संख्या 9 | : | **विश्वविद्यालय के छात्रावासों में कमरों का किराया निर्धारित करने सम्बन्धी प्रस्ताव।**<br><br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव संज्ञान में लिया गया। |
| मद संख्या 10 | : | **विश्वविद्यालय के शिक्षण/शोध/प्रसार से सम्बन्धित एवं विभिन्न प्रकार के अन्य गतिविधियों की प्रेस विज्ञप्तियों के प्रकाशनार्थ हेतु मीडिया कर्मियों को अवगत कराने के लिए रू0 500/– की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**<br><br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव संज्ञान में लिया गया। |
| मद संख्या 11 | : | **जैव नियन्त्रण उत्पादों के विक्रय मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**<br><br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| मद संख्या 12 | : | **डा0 ए0के0 सिंह, कार्यवाहक जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर जोन–IV, कानपुर का चयन जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर जोन–IV कानपुर में पॉच वर्ष के लिए हो जाने के फलस्वरूप धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने के सम्बन्ध में।**<br><br>डा0 सिंह का धारणाधिकार तत्काल प्रभाव से समाप्त करने एवं उन्हें नोटिस भेजकर 15 दिनों के अन्दर मूल पद पर वापस कार्यभार ग्रहण करने तथा भविष्य में धारणाधिकार की सीमा अधिकतम 3 वर्ष तक रखे जाने के लिये निदेशित किया गया। |
| मद संख्या 13 | : | **डा0 अरूण कुमार, सह–प्राध्यापक (सस्य विज्ञान) का त्याग पत्र दिनांक 01.09.2012 से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**<br><br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| मद संख्या 14 | : | **डा0 मो0 अकरम, सहायक प्राध्यापक, पादप रोग विभाग का त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**<br><br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| मद संख्या 15 | : | **विश्वविद्यालय में कर्मचारी के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।**<br><br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा श्री रामबाबू, स्वच्छकार, सम्पत्ति अनुभाग के चिकित्सा आधारित उपार्जित अवकाश का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| मद संख्या 16 | : | **विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।**<br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा श्री संजीव कुमार शुक्ला, कनिष्ठ लिपिक, रबी सस्य अनुभाग के उपार्जित अवकाश का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| मद संख्या 17 | : | **बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेदकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में कार्यरत कर्मचारी के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।**<br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा श्री अमित तिवारी, आटो–मोबाइल मैकेनिक, कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के उपार्जित अवकाश का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| मद संख्या 18 | : | **बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में कार्यरत कर्मचारी के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।**<br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा मो0 मंजूर, इलेक्ट्रिक सब–स्टेशन अटेन्डेन्ट, कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के उपार्जित अवकाश का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| मद संख्या 19 | : | **डा0 अशर्फीलाल जाटव, सह–प्राध्यापक, बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का चयन प्राध्यापक लाइफ साइन्स छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर में हो जाने के फलस्वरूप धारणाधिकार दिनांक 26.11.2011 से 21.11.2012 तक स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**<br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| मद संख्या 20 | : | **विश्वविद्यालय परिनियम अध्याय–12 "Classification of the teachers of the University, Section-28 (D) 1 & 2" को Delete/Ammend करने हेतु प्रस्ताव।**<br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा मा0 सदस्य डा0 आर0के0 दीक्षित के सुझाव के दृष्टिगत वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करने हेतु शासन से अनुरोध करने हेतु निर्देशित किया गया। |
| मद संख्या 21 | : | **विश्वविद्यालय के अधिकारियों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार दिये जाने का प्रस्ताव।**<br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों यथा–कानपुर, फैजाबाद, बॉदा एवं मेरठ के वित्त नियन्त्रकों की एक संयुक्त समिति गठित करने हेतु शासन से अनुरोध किया जाये एवं उक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में वित्तीय अधिकारों को दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाये, जिससे एकरूपता आ सके। |
| मद संख्या 22 | : | **वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–13361/दस–1998 दिनॉक 04.08.1998 की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अधिकारियों को आहरण एवं वितरण सम्बन्धी अधिकारों का प्रतिनिधायन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**<br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| मद संख्या 23 (संशोधित) | : | **शासनादेश संख्या–1377/67–कृशिअ–11–30(22)/94 टीसी–II दिनांक 13.10.2011 द्वारा याचिका संख्या–1437 (एसबी)/02,याचिका संख्या–1591(एसबी)/02, याचिका संख्या–1630 (एसबी)/02, याचिका संख्या–1131 (एसएस)/01, शासनादेश संख्या–157/67–कृशिअ– 13– 30(22)/94 टीसी दिनांक 30.01.2013 द्वारा याचिका संख्या–2009/11, शासनादेश संख्या–157(2)/67–कृशिअ–13–30 (22)/94 टीसी दिनांक 30.01.2013 द्वारा याचिका संख्या–70865/06 एवं शासनादेश संख्या:643/67–कृशिअ–13–30(4)/12 दिनॉक 19.03.2013 द्वारा याचिका संख्या–156(एसबी)/12 से आच्छादित शोध सहायकों/याचीगणों को दिनांक 18.08.1999 से सहायक प्राध्यापक का वेतनमान रू0 8000–13500 अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव।**<br><br>मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में याचीगणों को दिनॉक 18.08.1999 अथवा शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से नियमानुसार वेतनमान अनुमन्य कराये जाने हेतु मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा याचीगणों को पदनाम दिये जाने के सम्बन्ध में पदों की संख्या व अर्हता आदि के ऑकडे (Data) बनाने हेतु मा0 कुलपति द्वारा एक समिति गठित करने एवं तद्पृष्ठभूमि में विस्तृत प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत कर प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों के कम में शासन को संदर्भित किये जाने का निर्देश प्रदान किया गया। प्रबन्ध मण्डल की मा0 सदस्या श्रीमती संध्या मोहन प्रतिनिधि– प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ एवं मा0 सदस्य श्री ज्ञान सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि, कानपुर मण्डल प्रतिनिधि– निदेशक कृषि, उ0प्र0, लखऊ द्वारा यह दृढ़मत व्यक्त किया गया कि मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सम्बन्धित याचीगणों को वेतनमान दिया जा सकता है परन्तु पदनाम दिये जाने के सम्बन्ध में शासन से दिशा निर्देश प्राप्त करते हुए प्रकरण में निर्णय लिया जाना नियमानुकूल होगा। |
| मद संख्या 24 (संशोधित) | : | **विश्वविद्यालय में लिपिक संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी/सहायक कुलसचिव आदि पदों पर आशुलिपिक संवर्ग के कार्यालय सचिव पद पर कार्यरत कार्मिकों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में।**<br><br>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों के सम्बन्ध में नियमानुसार नियमावली बनायी जाये एवं तब तक पुरानी व्यवस्थानुसार इस संवर्ग (आशुलिपिक संवर्ग) के कार्मिकों के सम्बन्ध में निर्णय लिये जॉय। |
| अन्य निर्देश | : | 1– मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रबन्ध मण्डल की 147वीं बैठक एवं 148वीं बैठक के मध्य हुए लम्बे समयान्तराल पर मा0 सदस्य श्री परिमल बाजपेई की अपेक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में प्रबन्ध मण्डल की बैठकों को निर्धारित समयसीमा के अधीन कराये जाने पर विशेष बल दिया गया एवं इसी कम में माह जून 2013 से जुलाई 2013 के मध्य आगामी बैठक आहूत किये जाने के निर्देश मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान किये गये। |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2– विगत पॉच वर्षों के अन्तर्गत दुर्भावपूर्ण (Malafide) ढंग से लिये गये नीतिगत निर्णयों की समीक्षा, जॉच समिति के माध्यम से किये जाने एवं प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित करने एवं प्राथमिकी दर्ज कराये जाने आदि के सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्देश प्रदान किये गये। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त जॉच समिति में प्रबन्ध मण्डल के मा0 सदस्यों एवं प्रशासन के अधिकारियों को सदस्य के रूप में पारदर्शिता की दृष्टि से सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। |
| अन्य सुझाव | : | 1– प्रबन्ध मण्डल के मा0 सदस्य-श्री परिमल बाजपेई के द्वारा दिये गये सुझाव/प्रस्ताव इस कार्यवृत्त के साथ परिशिष्ट 1 से 10 तक संलग्नक के रूप में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न एवं अवलोकन योग्य है।<br><br>2– **प्रबन्ध मण्डल के मा0 सदस्य श्री विपिन कुमार शुक्ला द्वारा दिये गये सुझाव एवं की गयी अपेक्षा :–**<br><br>(1) मा0 सदस्य द्वारा प्रबन्ध मण्डल की उक्त बैठक के मध्य अर्थ नियन्त्रक कार्यालय की कैशबुकों को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी जिसकी पूर्व सूचना न होने एवं कार्यालय समयोपरान्त लेखा कार्मिकों के कार्यालय से चले जाने के कारण मा0 सदस्य की अपेक्षा की पूर्ति नही हो सकी। अन्ततः इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य द्वारा तथ्यों से अवगत होने पर असन्तोष व्यक्त किया गया।<br><br>(2) विश्वविद्यालय अभियन्ता के द्वारा कराये गये गत पॉच वर्षों के निर्माण कार्यों की जॉच प्राथमिकता पर समिति के माध्यम से कराये जाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव मा0 सदस्य द्वारा दिया गया तथा यह अपेक्षा की गयी कि विश्वविद्यालय अभियन्ता के विरूद्ध यदि कोई जॉच पूर्व से लम्बित हो तो उक्त जॉच को यथाशीघ्र पूर्ण की जाये। |

**अन्त में बैठक मा0 अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद उपरान्त समाप्त हो गयी।**

अनुमोदित

05/04/13
{डा0 पी0के0 शर्मा}
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

{वाई0पी0 सिंह} 05/04/2013
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल